न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) सिवाना

पीठासीन अधिकारी श्रीमति कुसुमलता चौहान आर.ए.एस

प्रकरण संख्या :– ...41... / 2022

प्रार्थी :– उगमराज पुत्र केसाराम जाति घॉची निवासी सिवाना तहसील सिवाना जिला बाडमेर

बनाम

विप्रार्थी :– राजस्थान सरकार जरिये भुमिधारक तहसीलदार सिवाना जिला बाडमेर

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956</u>

उपस्थितः–

1. **श्री किशोरीलाल सोनी अधिवक्ता प्रार्थी**

–: : आदेश : :–

दिनांकः– 08.06.22

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के मुख्य तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की संयुक्त खातेदारी कृषि भुमि सरहद मौजा ग्राम सिवाना पटवार हल्का सिवाना में खसरा संख्या 1166 का रकबा 02.2384 हैक्टयर किस्म बा0दोयम की भुमि आई हुई है प्रार्थी का नाम उनके पिता केसाराम का देहान्त होने के बाद जरिये विरासत का फौतदगी का म्युटेशन भरा गया तब राजस्व अधिकारियो द्वारा सहवन सें उकाराम पुत्र कैसाराम कौम घांची अंकित कर दिया गया जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम उगमराज पुत्र केसाराम है खातेदारी कृषि भुमि में गलत इन्द्राज होने से कई परेशानियो का सामना करना पडता है। प्रार्थी समस्त राजकीय दस्तावेज यथा आधार कार्ड ,वोटरकार्ड, भामाशाह कार्ड, बैंक खाता, दस्तावेजात इत्यादि में प्रार्थी का नाम उगमराज पुत्र केसाराम दर्ज है। अतः उक्त त्रुटि को दुरूस्त करने हेतु यह प्रार्थना पत्र न्यायालय श्री में पेश किया गया है।

प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये तथा प्रार्थी के सह खातेदार राणाराम पुत्र केसाराम का शपथ पत्र मय सहमति प्रार्थी के पक्ष में पत्रावली में पेश की गई । हमने प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी। प्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुये प्राथी का नाम राजकीय दस्तावेजात व ग्राम पंचायत सिवाना द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर उकाराम पुत्र केसाराम के स्थान पर उगमराज पुत्र केसाराम किये जाने हेतु निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2022.10.08 14:27:25 IST
Reason: SelfAttested

हमने पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात का गहराई से अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत राजकीय दस्तावेजात आधारकार्ड, वोटरकार्ड, भामाशाह कार्ड , बैंक खाता दस्तावेजात इत्यादि में प्रार्थी का नाम उगमराज पुत्र केसाराम अंकित है इस सम्बन्ध में ग्राम पंचायत सिवाना द्वारा जारी प्रमाण पत्र में भी यह अंकित है कि उकाराम व उगमराज पत्र केसाराम दोनो एक ही व्यक्ति के नाम है। अतः राजस्व रेकर्ड में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत राजकीय दस्तावेजात स्कूल दस्तावेज व ग्राम पंचायत सिवाना द्वारा प्रस्तुत प्रमाण व सह खातेदार की सहमति के आधार पर प्राथी का नाम उकाराम पुत्र केसाराम के स्थान पर उगमराज पुत्र केसाराम किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी सिवाना

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने योग्य होने से स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की खातेदारी भूमि सरहद मौजा सिवाना पटवार हल्का सिवाना के खसरा संख्या 1166 का रकबा 02.2384 हैक्टर किस्म बा0दोयम भूमि में अंकित अशुद्ध नाम उकाराम पुत्र केसाराम के स्थान पर **"उगमराज पुत्र केसाराम"** शुद्ध किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सिवाना आदेश की पालना एक माह में कर पालना रिपोर्ट भिजवाया जाना सुनिश्चित करे।

आदेश आज दिनांक 08.04.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सिवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2022.10.08 14:27:25 IST
Reason: SelfAttested